न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :— प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 67/2018 (उदयपुर डिक्री)

पन्नालाल पिता श्री शंकरलाल माली, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. रामा पिता श्री शंकर माली, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. राजस्थान जरिये तहसीलदार मावली, जिला, उदयपुर (राज.)
3. तहसीलदार मावली, तहसील मावली, जिला, उदयपुर (राज.)

.................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0—1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी मावली
दिनांक 20.05.2017, प्र. सं. 74/11

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री तुलसीराम डांगी अभिभाशक अपीलान्ट
2. श्री अजयसिंह हाडा अभिभाषक रेस्पो.सं. 1
3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———:::———

निर्णय दिनांक

26—04—2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की सामलाती कृषि भूमि आराजी नंबर 2083, 2084, 2092, 2094, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106 कुल किता 12 रकबा 8 बीघा 19

बिस्वा मौजा ईण्टाली में स्थित है, जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर–बराबर हिस्सा है। आपसी लिखापढ़ी अनुसार आपसी समझौता कर काश्त करते चले आ रहे हैं, किन्तु भूमि का अभी विधिवत बंटवाड़ा नहीं हुआ है, जिससे फसल बोने व लेने में बाधा उत्पन्न होती है तथा लडाई–झगड़ा होता है। अतएवं उक्त भूमियों का कानूनी बंटवाड़ा किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 औपचारिक पक्षकार होने से उनके द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा वादी की एकपक्षीय बहस सुनकर एवं साक्ष्य लेकर दिनांक 07–07–2011 को वादी का वाद स्वीकार कर बंटवाड़े की प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी।

दिनांक 30–01–2012 को प्रतिवादी संख्या 1 रामलाल द्वारा आदेश 7 नियम 9 एवं आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर उसे विधिवत तामिल नहीं होना बताते हुए प्रकरण को दोतरफा किये जाने का निवेदन किया गया।

उक्त आवेदन का जवाब वादी द्वारा प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया कि बंटवारानामा दोनों पक्षों की उपस्थिति में तैयार किया गया है, यदि बंटवारे से आपत्ति थी तो उसी समय की जा सकती है। मात्र मामले को लम्बा करने की गरज से उक्त आवेदन प्रस्त्ुत किया गया है, जो सव्यय खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 25–06–2012 से आवेदन स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 1 को जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर दिया, जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद वर्णित तत्यों को अस्वीकार किया तथा काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर बताया कि वाद वर्णित आराजियात में से दो बिस्वा भूमि दिनांक 23–06–1971 को वादी एवं प्रतिवादी ने मिलकर छगनलाल पिता भैरूलाल से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया है। उसके बाद प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि पुनः छगनलाल से क्रय की गयी है, लेकिन उक्त

भूमि का नामान्तरकरण खुलने से पूर्व छगनलाल की मृत्यु हो जाने से उक्त दो बिस्वा भूमि उसके पुत्र एवं पुत्र वधू के नाम दर्ज है गयी, तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 16–11–2001 को उक्त भूमि पुनः कय की गयी, जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 का मकान बना होकर व उसमें परिवार सहित निवास करता है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कय की गयी भूमि के आराजी नंबर 1644 थे, जो बड़ा रकबा था, जिसके नये नंबर 2099, 2100, 2101 व 2102 बने तथा दो बिस्वा भूमि आराजी नंबर 2099, 2100 व 2101 किता 3 रकबा 9 बिस्वा में स्थित है, जिसमें से 1/2 अर्थात 4½ बिस्वा तथा कय की गयी दो बिस्वा भूमि कुल 6½ बिस्वा भूमि उक्त आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 रामलाल के हिस्से व कब्जे में है, जिस पर अन्य किसी का कोई हक अधिकार नहीं है। अतएवं उक्त 6½ बिस्वा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार घोषित किया जावे।

उक्त काउण्टर क्लेम का जवाब वादी द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने हरिराम पुत्र नाथू माली को 20x50 = 1000 वर्गफिट जमीन का विकय किया, जिसे मुझ वादी ने पुनः खरीद कर कब्जा प्राप्त किया, जिस पर मुझ वादी का मकान बना हुआ है। इस दोनों भाईयों ने जमीन खरीदी तथा दोनों ने बेची। इस प्रकार प्रतिवादी अधिक जमीन की मांग कैसे कर सकता है। विवादित भूमि में दोनों का 1/2, 1/2 हिस्सा है। रामलाल द्वारा कय की गयी जमीन पर रामलाल का मकान बना हुआ है तथा मुझ वादी द्वारा कय की गयी जमीन पर मेरा मकान बना हुआ है। अतएवं मकानों को छोड़कर शेष भूमि का 1/2, 1/2 हिस्से अनुसार बंटवारा किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 का काउण्टर क्लेम खारिज किया जावे।

प्रकरण दिनांक 10–05–2016 को राजस्व लोक अदालत में रखा जाकर राजीनामे अनुसार वादी का वाद डिकी कर प्रारम्भिक डिकी जारी की गयी। तत्पश्चात प्राप्त फर्द बंटवारे अनुसार दिनांक 20–05–2017 को अंतिम डिकी जारी की गयी।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 20–05–2017 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 20–06–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त निर्णय अपीलान्ट की अनुपस्थित में उसे बिना सुने पारित किया गया है, जिसकी प्रथम बार जानकारी दिनांक 18–05–2017 को तब हुई जब अपीलान्ट विवादित भूमि की नकल लेने हेतु पटवारी हल्का के पास गया। अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर पत्रावली का मनन किया। अखण्डित शपथ पत्र एवं प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री अजयसिंह हाड़ा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अधिवक्ता श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि प्रारम्भिक डिक्री की पालना में जो मौके पर न तो तहसीलदार स्वयं उपस्थित हुए न ही उनके द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया तथा प्रारम्भिक डिक्री की अनुसार पटवारी द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है, तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री प्राकृतिक न्याय एवं सिद्धान्तों क विपरीत होने से अपास्त की जावे एवं प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया जाकर पुनः निर्णय पारित किया जावे। अपने

कथन के समर्थन में आर.आर.टी. 2018 (2) पेज 1341 एवं 2018 डी. एन.जे. पेज 230 की न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री को सही बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री पक्षकारान की सहमति से पारित की गयी है तथा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव उभयपक्ष की उपस्थिति में तैयार किया गयी, जिस पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति वादी/ अपीलान्ट द्वारा नहीं गयी गयी है, तद्नुसार अब अपीलान्ट/वादी का यह कथन कि उक्त प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर जारी की गयी अंतिम डिक्री उसकी अनुपस्थिति में जारी की गयी है, उचित नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार फर्द बंटवारे के आधार पर अंतिम डिक्री जारी की गयी है, जिसमें हम किसी प्रकार की काई तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 20–05–2017 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26–04–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.........मुकाम...............
उदयपुर.............
व इजलास .... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....
....

पन्नालाल पिता शंकरलाल माली, नि0 बनाम रामा पिता शंकरलाल माली, नि0
ईण्टाली, तह॰ मावली, जिला उदयपुर ईण्टाली, तहसील मावली, जिला
उदयपुर व अन्य

अपील नं॰.......67/2018.....व नाराजगी डिगरी अदालत ....उपखण्ड अधिकारी.....
...........मावली.......... मुकाम................मुवर्खे.............20...............माह..............05....
........2017

दावा बाबत

यह अपोल व तारीख........26....माह........04.......सन् 2019 रूबरू........
पक्षकारान
व हाजरी............श्री तुलसीराम डांगी..........मिनजानिब अपीलान्ट व....श्री
अजयसिंह हाडा

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिकी दिनांक 20–05–2017 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये
.... X......
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.......................... X ....
अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........26......माह.......04...
........2019
को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0

1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील...... ..... मीजान		

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।